

डार्कथॉन-2022

प्रलिस के लिये:

डार्कनेट, डार्कथॉन।

मेन्स के लिये:

डार्कनेट और इससे संबंधित चिंताएँ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (Narcotics Control Bureau- NCB) ने साइबर वशिषज्जों के लिये डार्क वेब में गुमनाम बाजारों की पहचान को उजागर करने के लिये प्रभावी समाधान खोजने हेतु एक 'डार्कथॉन' लॉन्च किया है।

- भारत में ड्रग कानून प्रवर्तन के मामले में नोडल एजेंसी के रूप में कार्यरत NCB ने हाल के दिनों में महत्त्वपूर्ण मामलों में सफलता प्राप्त की है।

प्रमुख बडि

डार्कथॉन-2022:

- डार्कथॉन-2022 में प्रतभागियों को 'डार्कवेब क्रॉलिंग' के आधार पर सक्रिय नशीली दवा तस्करों तथा उनसे संबंधित नए बाजारों की पहचान करने एवं इनएक्टिव लोगों को ररहा करने तथा डिजिटल फुटप्रिंति पर दवाओं की बिक्री करने वाले डार्कनेट बाजारों की पहचान कर उन्हें सूचीबद्ध करने के लिये एक "समाधान" प्रदान करना होगा।
- महामारी के प्रकोप के बाद भारत में पारसल या कूरियर के माध्यम से नशीली दवाओं की बरामदगी में लगभग 250 प्रतशित की वृद्धि हुई और उनमें से एक बड़ी संख्या डार्कनेट बाजारों के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ी हुई है।

डार्कनेट और चिंताएँ:

- परचिय: इंटरनेट में तीन लेयर होती हैं:**
 - पहली लेयर सार्वजनिक होती है, जिसमें ऐसी साइट्स शामिल हैं जिनका प्रायः उपयोग किया जाता है जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, अमेज़न और लकिडइन। यह लेयर पूरे इंटरनेट का केवल 4% भाग है।
 - दूसरी लेयर, डीप वेब एक ऐसा नेटवर्क है, जहाँ डेटा को अप्राप्य डेटाबेस में संग्रहित किया जाता है (अर्थात् इन तक गूगल जैसे पारंपरिक सर्च इंजनों के माध्यम से नहीं पहुँचा जा सकता)। इसका उपयोग लोगों के एक वशिषिट समूह तक पहुँच स्थापित करने के लिये किया जाता है।
 - यह डेटा आमतौर पर संवेदनशील और नज्ी होता है (सरकारी नज्ी डेटा, बैंक डेटा, क्लाउड डेटा इत्यादि), इसलिये इसे पहुँच से बाहर रखा जाता है।
 - इंटरनेट की तीसरी लेयर 'डार्कनेट' होती है जिसे 'डीप वेब' के एक भाग के रूप में भी जाना जाता है। यह इंटरनेट पर नरिमिति एक नेटवर्क है जो प्रायः एन्क्रिप्टेड होता है।
 - यह मूल रूप से इंटरनेट की एक ऐसी परत है जिसे केवल TOR (द ओनयिन राउटर), या 'I2P' (इनवज़िबिल इंटरनेट प्रोजेक्ट) जैसे वशिष सॉफ्टवेयर का उपयोग करके ही चलाया जा सकता है।
 - डार्क वेब पर मौजूद कुछ भी सामान्य इंटरनेट खोज में शामिल नहीं होता है, जिससे काफी अधिक एनॉनिमिटी की स्थिति बनी रहती है।
- डार्कनेट से संबंधित चिंताएँ:**
 - फरवरी 2016 में 'क्रिप्टोपॉलिटिक एंड द डार्कनेट' नामक एक अध्ययन में शोधकर्त्ताओं ने TOR नेटवर्क पर मौजूद कंटेंट का वशिषण किया।

- 2,723 वेबसाइट्स को उनके कंटेंट के आधार पर वर्गीकृत किया गया, जिसमें से 1,547 यानी 57% वेबसाइट्स पर डरग्स (423 साइट्स), अश्लील साहित्य (122) और हैकगि (96) से लेकर अन्य अवैध सामग्री मौजूद थी।
 - नेटफ्लिक्स जैसी स्ट्रीमिंग साइट्स के लॉग-इन विवरण को डार्क वेब मार्केटप्लेस पर सस्ते दरों पर बेचे जाने की भी रिपोर्ट है।
 - नेटवर्क का उपयोग कई कार्यकर्ताओं द्वारा वशिष्ठ रूप से दमनकारी शासन के तहत रहने वाले लोगों द्वारा बना किसी सरकारी सेंसरशिप के संवाद करने हेतु किया जाता है।
 - टीओआर (TOR) नेटवर्क का उपयोग कार्यकर्ताओं द्वारा [अरब सप्तरगि](#) के दौरान किया गया था।
- **डार्कनेट और भारत:**
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 साइबर अपराध से संबंधित है तथा यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। साइबर अपराध से निपटने के लिये कानून में केवल छह धाराएँ हैं।
 - बदलते समय के साथ भारत को साइबर अपराध से निपटने के लिये एक आपराधिक प्रक्रिया संहिता की आवश्यकता है जो कगृह मंत्रालय के अंतर्गत होगी तथा जो पुलिसिग के मुद्दों से संबंधित है।
 - साथ ही साइबर प्रवृत्तियों में बदलाव हेतु प्रशक्ति पुलिसि की आवश्यकता है जो केवल साइबर अपराध के लिये समर्पित हो अर्थात् अन्य पुलिसि इकाइयों में स्थानांतरित न हो।

स्रोत: इकॉनमिक टाइम्स

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/darkathon-2022>

